



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 193-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021 (AGRAHAYANA 3, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर, 2021

संख्या पी० एफ०-16-बी/2021/29819.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों, यदि कोई हों, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (तृतीय संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 30 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) अपील से संबंधित ज्ञापन के साथ दो हजार रुपए की न्यायालय फीस संलग्न होगी।”।

ए. के. सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 24th November, 2021

No. PF-16(B)/2021/29819.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Third Amendment) Rules, 2021.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 30, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The memorandum of appeal shall bear a court fee stamp of two thousand rupees.”.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.